भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1215

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबड़ बागानों के लिए केन्द्रीकृत डाटाबेस

1215. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड रबड़ उत्पादों की वनों की कटाई से मुक्त शृंखला स्थापित करने हेतु सम्पूर्ण भारत में रबड़ बागानों के लिए केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ उत्पादों के निर्यात पर निगरानी रखने हेतु पता लगाने की क्षमता प्रणाली भी विकसित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 01.01.2025 से प्रभावी यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन के फलस्वरूप रबड़ उत्पादों की विपणन क्षमता सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीकृत डाटाबेस की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): रबड़ बोर्ड ने भारत में रबड़ क्षेत्र के मानचित्रण के लिए एक सेवा प्रदाता को नियुक्त किया है और भारत से निर्यातित रबड़ और रबड़ उत्पादों के लिए पता लगाने की क्षमता प्रणाली भी विकसित कर रहा है। एक केंद्रीकृत डेटाबेस और ट्रेसएबिलिटी प्रणाली यूरोपीय संघ सहित विभिन्न बाजारों में उत्पाद की पारदर्शिता और विपणन क्षमता में सुधार करने में सहायता करेगी।

*****